न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

विविध आवेदन पत्र संख्या 11/2011

प्राथीगण — बनाम — विप्रार्थीगण

विकास अधिकारी
पंचायत समिति बाड़मेर

1. ग्राम पंचायत गागरिया
2. ईश्वरसिंह पुत्र हेमसिंह जाति राजपूत निवासी गागरिया स्टेशन तहसील रामसर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.6.2004 जो ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 ईश्वरसिंह के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः–1. प्रार्थी के वकील अनुपस्थित।
2. श्री प्रेमाराम सोनी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.5.2016

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी भूखण्ड का पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.6.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 ने सरंपच ग्राम पंचायत गागरिया के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत गागरिया की आबादी भूमि पर उसका कब्जा है, जिस पर आवास हेतु विक्रय विलेख प्रदान कराया जावें। इस पर ग्राम पंचायत गागरिया ने पत्रावली कायम कर अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156(1)(क) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.6.2004 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि अप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156 प्रावधानों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है। इसलिए अपार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावें।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत गागरिया से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व केम्प कोर्ट रामसर में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण के पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्रार्थी की ओर से पंचायत प्रसार अधिकारी बाड़मेर उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित रहे।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। ग्राम पंचायत के रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 02 को यह पट्टा नियम 156(1)(क) के तहत जारी करना बताया। नियम 156(1) के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमि का विक्रय करने का प्रावधान है एवं उप नियम (क) अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भूमि को प्रावईट बातचीत से विक्रय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नही हो सकती है, उप नियम (ख) अनुसार जहॉ कोई अतिचार हो या लेखबद्व किये जाने वाले किसी भी अन्य कारण से पंचायत यह समझती हो कि नीलाम भूमि के निर्वर्तन का कोई सुविधाजनक ढंग नहीं होगा। नियम 156 (2) अनुसार किसी भी मामले में ऐसी आबादी भूमि उप रजिस्ट्रार द्वारा नियम और विकास अधिकारी द्वारा गांव की विद्यमान बाजार कीमत के रूप में संसूचित कीमत से नीचे के किसी दर पर अंतरित नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत गागरिया ने अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा की राशि 01/– प्रति वर्ग फीट की दर से वसूल कर पट्टा जारी किया गया। जबकि इस नियम के तहत निर्धारित आवासीय दर 35/– प्रति वर्ग फीट थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 को जारी पट्टा हेतु आवासीय दर 35/–रूपये से 137270/– कीमत बनती है। जबकि ग्राम पंचायत गागरिया ने 3922/– वसूल कर पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 02 ने वसूली योग्य राशि 133450/– रसीद संख्या 21 दिनांक 28.12.2015 व 22 दिनांक 28.12.2015 से जमा करवाकर ग्राम पंचायत गागरिया का प्रमाण–पत्र की छाया प्रति पेश की है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा बकाया राशि जमा करवा दी गई है तथा प्रार्थी की ओर से पंचायत प्रसार अधिकारी ने बकाया राशि जमा होने से लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण करने में सहमति जाहिर की है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप पक्षकारान द्वारा सहमति के आधार पर बकाया देय राशि जमा होने से प्रकरण का निस्तारण किया जाकर प्रार्थी की निगरानी खारिज की

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

जाती है एवं ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 ईश्वरसिंह पुत्र हेमसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 20.6.2004 यथावत रखा जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 25.5.2016 को खुले केम्प न्यायालय रामसर में उपस्थितजनो के समक्ष सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)